1/23

वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी को एवं वादी स्वयं को न्यायालय समय के दौरान बार-बार आवाज लगाई। उसके बावजूद भी न तो वादी और ना ही उसके अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतीत होता है कि वादी व उसके पैरोकार अपने प्रकरण को लेकर सजग नहीं है। अतः प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा हो, और नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जयपुर)